28.5.24 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब दिगर कार्यों में व्यस्त है।
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 11.6.2024 को पेश हो।

11.6.24 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने फहरिश्त
के साथ दस्तावेज पेश कर अवगत कराया है
कि वादी युवराजसिंह ने अपना हिस्सा अनुसार
कृषि अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी है।
अतः वादी द्वारा अपनी कृषि बेचान कर देने से
वाद चलने योग्य नहीं है। अतः पत्रावली
इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार रजिस्टर नं. से कम हो।